उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–2
संख्या– 430/III (2)/18–75(सामान्य)/2000
देहरादून : दिनांक 05 फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–129/XXVII (7)32/2016 दिनांक 14.07.2017 के द्वारा लागू की गयी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली– 2017 के नियम–3 (अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त) के उपनियम–10 में उपबन्धित प्राविधान **"निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जायेगा"** के दृष्टिगत पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं कार्यों के त्वरित निस्तारण में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु शासनादेश संख्याः–3834/III(2)/17–75(सामान्य)/2000 दिनांक 29 नवम्बर, 2017 द्वारा लोक निर्माण विभाग में रोड कटिंग के प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग VI के प्रस्तर–369 का अनुपालन करते हुये, व्यवहारिकता की दशा में एक साथ अधिप्राप्ति के स्थान पर एक कार्य को दो से तीन भागों में विभाजित कर विभागीय कार्य सम्पादित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2017 के बिन्दु संख्या–2 में उल्लिखित अंश **"लोक निर्माण विभाग में रोड कटिंग के प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग VI के प्रस्तर–369 का अनुपालन करते हुये, व्यवहारिकता की दशा में एक साथ अधिप्राप्ति के स्थान पर एक कार्य को दो से तीन भागों में विभाजित किये जाने का निर्णय लिया गया है"** को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में एतद्द्वारा निम्न सीमा तक संशोधित किया जाता है :–

> **"वाह्य सहायतित/केन्द्रपोषित योजनाओं को छोड़ते हुये, राज्य सरकार द्वारा संचालित मोटर मार्गों के नव निर्माण से सम्बन्धित कार्यों के अन्तर्गत पहाड कटान एवं मिट्टी के कार्यों की निविदायें सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति से वित्तीय हस्तपुस्तिका के भाग VI के प्रस्तर–369 का अनुपालन करते हुये, विभागीय आवश्यकता एवं व्यवहारिकता की दशा में न्यूनतम आधा किमी0 (0.500 किमी0) की लम्बाई तक विभाजित की जा सकती है।"**

3– शासनादेश संख्या–3834/III(2)/17–75(सामान्य)/2000 दिनांक 29 नवम्बर, 2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः–119/ XXVII(7)/2018 दिनांक 05 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

I.T
Uploaded
4/5/18

IT/GO

क्रमशः ...2 पर

संख्या– 430 / III (2) / 18–75(सामान्य) / 2000 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के नियम–3 (अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त) के उपनियम–10 में उपरोक्तानुसार संशोधन करने का कष्ट करें।
4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त अधीक्षण / अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
11. गाई फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)

संयुक्त सचिव